



प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 6452/2006

याचिकाकर्ता:

परस राम साहू, आयु लगभग 61 वर्ष, पिता श्री इंदल @ लती राम साहू, सरपंच, ग्राम पंचायत कुंआ, तहसील नवागढ़, जिला दुर्ग (छ.ग.)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण:

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)।
2. अतिरिक्त कलेक्टर, बेमेतरा, जिला दुर्ग (छ.ग.)।
3. श्रीमती मुन्नी बाई, पति श्री सहोरिक साहू, उप सरपंच, ग्राम पंचायत कुंआ, तहसील नवागढ़, जिला दुर्ग (छ.ग.)।
4. भारत साहू, पिता श्री भकला साहू, ग्राम पंचायत कुंआ, तहसील नवागढ़, जिला दुर्ग (छ.ग.)।
5. श्रीमती सुमित्रा, पति स्व. श्री सीताराम साहू, ग्राम पंचायत कुंआ, तहसील नवागढ़, जिला दुर्ग (छ.ग.)।
6. दिलीप, पिता श्री द्वारिका धुव, ग्राम पंचायत कुंआ, तहसील नवागढ़, जिला दुर्ग (छ.ग.)।
7. फरहीन बाई, पति श्री संतराम धुव, ग्राम पंचायत कुंआ, तहसील नवागढ़, जिला दुर्ग (छ.ग.)।
8. मिलन खरे, पिता श्री अंटू खरे, ग्राम मुंगवाय, तहसील नवागढ़, जिला दुर्ग (छ.ग.)।
9. गणेश निषाद, पिता श्री पीलू निषाद, ग्राम मुंगवाय, तहसील नवागढ़, जिला दुर्ग (छ.ग.)।
10. शैलेश पाण्डेय, पिता श्री जवाहर पाण्डेय, ग्राम मुंगवाय, तहसील नवागढ़, जिला दुर्ग (छ.ग.)।
11. काशी राम साहू, पिता श्री भगत राम साहू, ग्राम पंचायत कुंआ, तहसील नवागढ़, जिला दुर्ग (छ.ग.)।



12. श्रीराम, पिता श्री कुंज राम साहू, ग्राम पंचायत कुंआ, तहसील नवागढ़, जिला दुर्ग (छ.ग.)।
13. बी.एल. ठाकुर, विहित प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा, जिला दुर्ग (छ.ग.)।
14. एम.आर. कोमर्या, तहसीलदार एवं पीठासीन अधिकारी, नवागढ़, जिला दुर्ग (छ.ग.)।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत रिट याचिका)

एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता के लिए श्री पी.पी. साहू, अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 1 एवं 2/राज्य हेतु श्री विनय हरित, उप महाधिवक्ता साथ में श्री भास्कर पायसी, पैनल अधिवक्ता ।

उत्तरवादी क्रमांक 3 के लिए श्री राजीव श्रीवास्तव, अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 6 से 12 के लिए श्री एस.के. तिवारी, अधिवक्ता।

-- मौखिक आदेश --

(दिनांक 11 नवंबर, 2008 को पारित)

इस याचिका के द्वारा, याचिकाकर्ता ने अतिरिक्त कलेक्टर, बेमेतरा द्वारा प्रकरण क्रमांक 36-सी/144/2005-06 में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 15.11.2006 (अनुलग्नक पी/1) को चुनौती दी है, जिसके माध्यम से पीठासीन अधिकारी के उस निर्णय को अपास्त कर दिया गया था जिसमें



पीठासीन अधिकारी द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि 'अविश्वास प्रस्ताव' पारित नहीं हुआ था।

1. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत संक्षेप में निर्विवाद तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता ग्राम पंचायत, कुंआ, तहसील नवागढ़, जिला दुर्ग का एक विधिवत निर्वाचित सरपंच हैं और याचिकाकर्ता के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु आवश्यक उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए दिनांक 06.07.2006 को अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रस्ताव के पक्ष में केवल सात व्यक्तियों ने मतदान किया और तीन व्यक्तियों ने विरोध में मतदान किया तथा एक मत को पीठासीन अधिकारी द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने वाले उपस्थित कुल सदस्यों के 3/4 बहुमत की आवश्यकता 8.35 होगी क्योंकि उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या 11 थी। यदि एक मत को अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मान भी लिया जाए, तो कुल सदस्य 8 होंगे अर्थात् 8.35 से कम। अतः, पीठासीन अधिकारी का यह निष्कर्ष कि प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, सही था। अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा पारित आदेश इस सरल आधार पर टिकने योग्य नहीं है कि विधि की अपेक्षा यह है कि प्रस्ताव पारित हुआ मानने के लिए कार्यवाही में उपस्थित और मतदान करने वाले कुल व्यक्तियों का 3/4 बहुमत अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में होना चाहिए।





2. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना, अभिवचनों एवं संलग्न दस्तावेजों का परिशीलन किया।
3. अतिरिक्त कलेक्टर इस आधार पर आगे कार्यवाही कि यदि उपस्थित सदस्यों के 2/3 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है, तो इसे प्रस्ताव पारित होना माना जा सकता है। अतिरिक्त कलेक्टर का यह निष्कर्ष छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (संक्षेप में, "अधिनियम 1993") की धारा 21(1) के उपबंधों के विपरीत है।
4. अधिनियम 1993 की धारा 21(1) निम्नानुसार है:

"धारा 21. सरपंच और उपसरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव -
 (1) उपस्थित तथा मतदान करने वाले पंचों के तीन चौथाई से अन्यून ऐसे बहुमत से, जो तत्समय ग्राम पंचायत का गठन करने वाले पंचों की कुल संख्या के दो तिहाई से अधिक है, पारित संकल्प द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा पारित कर दिया जाने पर, वह सरपंच या उपसरपंच, जिसके विरुद्ध, ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाता है, तत्काल प्रभाव से अपने पद पर नहीं रह जाएगा।।"
5. अतएव, अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा पारित आदेश विधि अनुसार पोषणीय नहीं है और उसे अपास्त किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव हेतु पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.07.2006 (अनुलग्नक पी/2) की पुष्टि की जाती है।
6. तदनुसार, यह याचिका स्वीकार की जाती है। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।





सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

